रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 10 अगस्त, 2005/19 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 10 अगस्त, 2005

संख्या वि0स0–विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–42/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक–23) जो आज दिनांक 10 अगस्त, 2005 को

1868–राजपत्र/2005–10–8–2005–1,460. (2449) मूल्य : 1 रुपया।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव।

2005 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम।

1994 का 13

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 10 की उप–धारा (1) में,— धारा 10 का संशोधन।

(क) विद्यमान खण्डों (i) से (vii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i)	6150 से अनधिक	. .	7 सदस्य
(ii)	6150 से अधिक किन्तु 12,300 से अनधिक	. .	9 सदस्य
(iii)	12,300 से अधिक किन्तु 24,600 से अनधिक	. .	11 सदस्य
(iv)	24,600 से अधिक किन्तु 36,900 से अनधिक	. .	13 सदस्य
(v)	36,900 से अधिक किन्तु 49,200 से अनधिक	. .	15 सदस्य
(vi)	49,200 से अधिक किन्तु 61,500 से अनधिक	. .	17 सदस्य
(vii)	61,500 से अधिक	. .	19 सदस्यः" ; और

(ख) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य के नगरीय क्षेत्र की औसत जनसंख्या वृद्धि दर की अपेक्षा उस नगरपालिका की जनसंख्या की वृद्धि दर के अधिक या कम होने के कारण, यथास्थिति, नगरपालिका में वार्डों (सीटों) की संख्या में बढ़ोतरी या कमी की दशा

में, उस नगरपालिका के वार्डों (सीटों) की विद्यमान संख्या को उस दशा में भी बनाए रखा जाएगा ।"।

धारा 16 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उप–धारा (1) में विद्यमान खण्ड (ण) का लोप किया जाएगा ।

धारा 141 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 141 में, विद्यमान उपबंध को उप–धारा (1)के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा तत्पश्चात्, निम्नलिखित नई उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उप–धारा (1) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, अपने खर्चे पर, नगरपालिका से मलवहन का संबंधन (कनैक्शन) लेकर, जहां नगर पालिका द्वारा मलवहन प्रणाली का उपबन्ध किया गया है, अपने, यथास्थिति, शौचालयों, मूत्रालयों और मलाशय (सैप्टिक टैंक) को मलवहन लाईन से जोड़ना, किसी परिसर के भवन स्वामी या अधिभोगी का कर्तव्य होगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे संबंधन के अन्य प्रभारों के अतिरिक्त, जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का किन्तु पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा, जो कि निरन्तर व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप आवश्यक सेवाएं जैसे कि पानी, बिजली इत्यादि को वियोजित किया जाएगा :

परन्तु जहां मलवहन लाईन अन्य व्यक्ति की भूमि से गुजर रही है, तो मलवहन लाईन ऐसी भूमि की सीमा रेखाओं के साथ से मलवहन लाईन को जोड़ा जाएगा या जहां भवन सनिर्मित किया जा चुका है, तो लाईन ऐसे भवन के सैटबैक, जो भी साध्य हो, डाली जाएगी।"।

धारा 149 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 149 के विद्यमान उपबंध को उप–धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् , निम्नलिखित नई उप–धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) कोई व्यक्ति—

(क) किसी सार्वजनिक स्थान में बन्दरों, लंगूरों तथा अन्य आवारा पशुओं को खिलाएगा नहीं;

(ख) सार्वजनिक स्थान, लोक सड़क, लोक मार्ग या दीवारों पर थूकेगा नहीं; या

(ग) इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका द्वारा उपलब्ध डिब्बा (कंटेनर) के अलावा किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क, भाग या खुली पहाड़ियों पर, किसी भी प्रकार का कूड़ा–कचरा, कचरा (रिफयूज) आदि नहीं फेंकेगा।

स्पष्टीकरण.—खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए पद "सार्वजनिक स्थान" में मंदिर सम्मिलित नहीं होंगे।

(3) जो कोई भी उप–धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह, नगर पालिका द्वारा ऐसे सार्वजनिक स्थान, सड़क, मार्ग या खुली पहाड़ियों से ऐसे कूड़ा-कचरा (रिफयूज) आदि को साफ करने या हटाने हेतु उपगत अन्य प्रभारों के अतिरिक्त, के जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धाराओं 160 तथा 161 का लोप।

6. मूल अधिनियम की धाराओं 160 तथा 161 का लोप किया जाएगा।

धारा 164 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (5) के पश्चात् नई उप धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"(6) ऐसी फीस का संदाय करने पर जैसी ऐसे व्ययन के लिए सरकार द्वारा नियत की जाए, यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव द्वारा विहित रीति में नगरपालिका द्वारा कूड़ा–कचरा का और व्ययन करने के लिए संग्रहण करना और इक्ट्ठा करना, सभी परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का कर्त्तव्य होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं और 1991 की जनगणना की तुलना में नगरीय जनसंख्या में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और परिणामतः सैंकड़ों मामलों में नगर पालिकाओं के सदस्यों की सीटों की संख्या में अनुपाततः वृद्धि की जा रही है। इस प्रकार, नगर पालिकाओं में सदस्यों की सीटों की विद्यमान संख्या को बनाए रखने की बाबत, सदस्यों की सीटों के निर्धारण के मापमान को अनुपाततः बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। हाल ही में पंचायती राज विभाग द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में अधिसूचना संख्या–पी. सी. एच–एच ए (1) 1/2005 तारीख 30–5–2005 में इसी प्रकार का संशोधन किया गया है। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में इसी प्रकार का संशोधन नगरीय और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन शासित दोनों इकाइयों में समान अवस्थिति बनाए रखने में सहायता देगा, जिसमें से दोनों के निर्वाचन दिसम्बर/जनवरी, 2005–06 में होने हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों के कानूनी कृत्यों के अनुपालन और नगर के निवासियों को मूल सुख–सुविधाओं का उपबन्ध करने का उत्तरदायित्व निहित है। नगर में मलवहन प्रणाली का सुधार करने के लिए कई करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। प्रणाली की कार्यचालन क्षमता के लिए आवश्यक है कि यह न तो उपयोगाधीन हो, और न ही अनुपयोगी हो। प्रणाली द्वारा मलवहन की अपर्याप्त निकासी प्रणाली के संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न करेगी। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 269 (3) के अधीन अक्तूबर, 2004 में एक उपबन्ध किया गया था जिसमें सभी गृहस्थी के लिए मलवहन संबंधन (कनेक्शन) को आज्ञापक बनाया गया था। उसी प्रकार के उपबंध को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। कई स्थानों में लोग मलाशय (सैप्टिक टैंकों) की प्रथा को ही चला रहे हैं। मलाशयों (सैप्टिक टैंकों) से बेकार जल का समुचित व्ययन सुनिश्चित नहीं होता। परिणामस्वरूप, विद्यमान अस्वास्थ्य कर दशाओं से स्वच्छता उपताप (न्यूसेंस) पैदा होता है और भूगर्व जल भी प्रदूषित होता है। इसलिए दाण्डिक उपबंधों को अधिक कड़ा बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि आवश्यक सेवाओं अर्थात्, जल और विद्युत इत्यादि का वियोजन करना। मलवहन सम्बंधन (कनेक्शन) का आज्ञापक बनाने का विनिश्चिय किया गया है। इसके साथ ही, स्थानीय निकायों के निर्वाचन में दो जीवित संतानों के सन्नियम के उपबंध का भी लोप करने का विनिश्चिय किया गया है क्योंकि इस उपबंध ने सामाजिक समस्याएं पैदा कर दी हैं और स्त्री विरोधी उपबंध के रूप में इसकी आलोचना की गई है। यह संशोधन और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि पंचायती राज विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में इस प्रकार के उपबन्ध का लोप कर दिया है।

इसके अतिरिक्त जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के हित में, स्थानीय निकायों में घर–घर से कूड़ा–कचरा संग्रहण चिन्ता का विषय है। घर–घर से कूड़े–कचरे का संग्रहण, कूड़े –कचरे की व्यवस्था सुनिश्चित करने की एक सबसे बढ़िया पद्धति के रूप में उभर कर आई है हालांकि, यह देखने में आया है कि लोगों के असहयोग की वृति, इस स्कीम की असफलता का मुख्य कारण हो सकता है। इसलिए,

प्रयोक्ता प्रभारों का संदाय करने पर, स्वामियों और अधिभोगियों द्वारा कूड़ा–कचरे का संग्रहण और जमा करने के लिए उपबंध बनाने का विनिश्चय किया गया है। बन्दर, लंगूर और अन्य अवारा पशु नगरीय परिक्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि लोग सार्वजनिक स्थानों में बन्दरों और अन्य पशुओं को खिलाते हैं, जिससे उपताप (न्यूसेंस) होता है। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों ओर खुले स्थानों में कूड़ा–कचरा फेंकने और थूकने के मामले भी बढ़ रहे हैं। परिणामतः नगर में अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा हो रही हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कौल सिहं ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख : अगस्त, 2005.

वित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

कौल सिहं ठाकुर,
प्रभारी–मन्त्री।

सुरेन्द्र सिहं ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : , 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2005

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994.)

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty–sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2005.

Amend-ment of section 10.

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in sub-section (1),— 13 of 1994.

(a) for the existing clauses (i) to (vii), the following shall be substituted, namely:—

"(i) Not exceeding 6150 .. 7 members
(ii) Exceeding 6150 but not exceeding 12,300 .. 9 members
(iii) exceeding 12,300 but not exceeding 24,600 .. 11 members
(iv) exceeding 24,600 but not exceeding 36,900 .. 13 members
(v) exceeding 36,900 but not exceeding 49,200 .. 15 members
(vi) exceeding 49,200 but not exceeding 61,500 .. 17 members
(vii) exceeding 61,500 19 members:"; and

(b) for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that in case of increase or decrease in the number of wards (seats) in a municipality due to higher or lesser population growth rate of that municipality than the average population growth rate of the urban area of the State, as the case may be, in that event existing number of wards (seats) of that municipality shall be maintained.".

3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (1), the existing clause (o) shall be deleted. Amendment of section 16.

4. In section 141 of the principal Act, existing provision shall be re-numbered as sub-section (1) and thereafter, the following new sub-section shall be inserted, namely:— Amendment of section 141.

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), it shall be the duty of the house owner or occupant of any premises to connect his latrines, urinals and septic tank, as the case may be, with sewerage line where sewerage system has been provided by the municipality, at his own expenses, by getting sewerage connection from the municipality and if he fails to do so, he shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees but shall not be less than five hundred rupees, in addition to other charges for such connection which in case of continuous default will result in disconnection of essential services *viz.* water, electricity etc.:

Provided that where sewerage line is passing through other person's land, the sewerage connection shall be connected to the sewerage line through the boundary lines of such land or where the building has been constructed, the line shall be laid through the setbacks of such building, whichever is feasible.".

5. In section 149 of the principal Act, the existing provision shall be re-numbered as sub-section (1) and thereafter, the following new sub-sections shall be inserted, namely:— Amendment of section 149.

"(2) No person shall—

(a) feed the monkeys, langoors and other stray animals in any public place, or

(b) spit on public place, public road, public street or walls, or

(c) throw any type of garbage/refuse etc. on any public place, road, street or in open hill side except in a container provided by the municipality for this purpose.

Explanation.— For the purpose of clause (a), the expression "public place" shall not include temple.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2), he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, in addition to other charges incurred for cleaning or removal of such garbage/refuse etc. from such public place, road, street or open hill side by the municipality.

Deletion of sections 160 and 161.

6. Sections 160 and 161 of the principal Act, shall be deleted.

Amendment of section 164.

7. In section 164 of the principal Act, after sub-section (5), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(6) It shall be duty of the owners and occupiers of all premises to collect and deposit the garbage for further disposal by the municipality in the manner prescribed by the Executive Officer or Secretary, as the case may be, on payment of fee for such disposal as may be fixed by the Government.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The census figures of 2001 have been published and there is almost 23% increase in the urban population as compared to 1991 census and resultantly the number of seats of the members of municipalities in several cases are going to increase proportionately. Thus , in order to maintain the existing number of seats of the members in the municipalities the scale of determination of seats of the members has been decided to be increased proportionately. An amendment on similar lines has been carried out recently by the Panchayati Raj Department in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 by Notification No. PCH-HA(1)-1/2005 dated 30-5-2005. A like amendment in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 will help to maintain a similar situation in urban and rural local self governing units. Further, the urban local bodies of the State are vested with the responsibility of performing statutory functions and providing basic amenities to the residents of the town. Substantial investment of several crores has been made to improve the sewerage system within the town. The operational efficiency of the system requires that it is neither underutilized nor unutilized. Insufficient discharge of sewerage through the system will ensure it to run into systemic problems. A provision was made under section 269(3) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in October, 2004, wherein the sewerage connection was made mandatory for all the house-holds. A similar provision is proposed to be incorporated in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994. People in several places are continuing with the usage of septic tanks. The septic tanks do not ensure proper disposal of waste water. As a result, unhygienic conditions prevail creating sanitary nuisance and the ground water also gets polluted. Therefore, it is also felt necessary to make the penal provisions more stringent such as disconnection of essential services viz. water, electricity etc. Further, it has been decided to delete the provision of two living children norm to the election to the local bodies because this provision has created social problems and has been criticized as an anti- women provision. This amendment is also necessitated because the Panchayati Raj Department has also deleted a similar provision in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

Further, the door to door collection of garbage is a matter of critical concern in the local bodies in the interest of public health and hygiene. Door to door collection of garbage has emerged as one of the best practices to ensure disposal of garbage. However, it has been observed that non-cooperative attitude of the residents can be a major cause of the failure of the scheme. It has, therefore, been decided to make provision for collection and deposit of garbage by the owners and occupiers mandatory on payment of user charges. The monkeys, langoors and other stray animals are attracted to urban localities as the people feed monkeys and other animals in the public places which creates nuisance. Cases of throwing garbage and spitting in the public places, roads, streets and in open places are also increasing. Resultantly, unhygienic conditions are created in the town. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
Dated ....., 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2005

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994).

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:
The..... , 2005.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित